न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

प्र.सं. 158/2022
सीसीएमएस : 2022/529

1. भागीरथ पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–: प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. तारा देवी पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. रूकमा देवी पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. राजकुमार पुत्र ताराचन्द जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. विनोद कुमार पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
6. सुभद्रा पुत्री बृजलाल जाति जाट निवासी 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री मनिन्द्र कुमार, वकील प्रार्थी
2. श्री नरेन्द्र भादू, वकील अप्रार्थी सं. 1,3,4
3. श्री सुखदर्शन सिंह वानर, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5

–: निर्णय :–

दिनांक : 06.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि चक 82 आरबी के खाता सं. 129/116 में दर्ज अनुसार मु.नं. 22 प.नं. 233/276 व मु.नं. 47 प.नं. 233/278 की कुल 7.326है. नहरी खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/4 भाग, अप्रार्थी जगदीश का 1/8 भाग, अप्रार्थी तारा देवी का 1/12 भाग, रूकमा देवी का 1/4 भाग, रामकुमार का 1/8 भाग, विनोद कुमार का 1/12 भाग, [illegible] हिस्सा की खातेदारी भूमि हैं। उपरोक्त भूमि को प्रार्थी अपने हक एवं हि[illegible] की [illegible] को अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त ही काश्त करता आ रहा है [illegible] कोई बंटवारा नहीं हुआ हैं। भूमि संयुक्त खाता में होने का अप्रार्थीगण [illegible] नाजायज लाभ प्राप्त कर प्रार्थी को हक एवं हिस्सा की भूमि से वंचित करना चाहते हैं [illegible] अच्छी भूमि पर स्वयं काबिज होकर प्रार्थी को नुकसान पंहुचाना चाहते हैं। अप्रार्थीगण भूमि में अपने हक एवं हिस्सा की भूमि पर अलग–अलग किलाजात की अच्छी भूमि पर अपना कब्जा दर्शाते हुए राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं का गलत ब्यानी से लाभ प्राप्त कर प्रार्थी को हानि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:39:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

पंहुचाना चाहते है व अप्रार्थीगण की उपरोक्त बदयान्ती को देखते हुए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को उपरोक्त संयुक्त खाता की भूमि का विधिक दृष्टि से अपने अपने हक एवं हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब भूमि का बंटवारा करवा अलग–2 किलाजात की भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने के लिए कई बार तलब तकाजा किया लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी को शीघ्र ही बंटवारा कर भूमि दर्ज करवाने का आश्वासन देते रहे हैं। प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि में विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि को हडप करने के लिए नुकसान पंहुचाने के उद्देश्य से खाला व रास्ता आदि की सुविधाओं को व काश्त सुविधा को दरकिनार करते हुए अच्छी भूमि हडपने के लिए प्रार्थी की बिना सहमति व स्वीकृति के व बिना खाता विभाजित करवाये किला विशेष की भूमि को अन्य को बेचान एवं हस्तान्तरण करने तथा राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत गलत ब्यानी के जरिये किला विशेष की भूमि पर अपना कब्जा दर्शाते हुए डिग्गी निर्माण बाबत अनुदान राशि प्राप्त कर डिग्गी निर्माण करना चाहते हैं, जिस बाबत दिनांक 27.10.2022 को चक 82 आरबी में मौजिज व्यक्तियों की पंचायत इक्टटी की जाकर उपरोक्त विधि विरूद्ध कृत्य नहीं करने व उक्त भूमि का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब का हिस्सा अनुसार बंटवारा कर भूमि राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी सं. 1 ता 6 इंकार हो गये तथा धमकी दी कि वह संयुक्त खाता की भूमि में अच्छी भूमि का किसी अन्य को बेचान कर बेजा लाााा प्राप्त करेंगे व साथ ही अच्छी भूमि पर अपना कब्जा दर्शाते हुए प्रार्थी की बिना सहमति के भूमि में डिग्गी निर्मागण कर प्रार्थी को हक व अधिकारों से वंचित कर बेजा लाभ प्राप्त करेंगे। यही तारीख बिनाये दावा एवं मुखास्मत दावा हैं। प्रार्थी खाता विभाजन करवाने का अधिकारी हैं। अगर अप्रार्थीगण अपने विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो जाते हैं तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा व ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है। वाद के लम्बन तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 पारित करने हेतु निवेदन किया कि अप्रार्थीगण स्वयं या उनका कोई हितबद्ध व्यक्ति या पश्चातवर्ती व्यक्ति उक्त संयुक्त खाता की भूमि में किसी भाग की भूमि का किसी अन्य को हस्तान्तरण, रहन व बैय आदि करने व किला विशेष की भूमि पर बिना प्रार्थी की सहमति व स्वीकृति के डिग्गी या अन्य प्रकार का निर्माण आदि करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे प्रार्थी भूमि में अपने हक एवं हिस्सा से वंचित व बेदखल होता हूं तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये जाए।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को [illegible] अप्रार्थी सं. 2,6 के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] सं. 5 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित [illegible] संयुक्त खाता [illegible] है और प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1,3,4 के मध्य बाहमी बंटवारा होने का ज्ञान नहीं हैं। अप्रार्थी [illegible] अप्रार्थी की माता अप्रार्थी सं. 2 व बहिन अप्रार्थी सं. 6 सुभद्रा के विवादित रकबा में निहित 1/12–1/12 भाग अनुसार तीनों के कुल 1.832है. नहरी रकबा अनुसार उनके कब्जा काश्त में विवादित रकबा चक 82 आरबी के प.नं. 233/276 मु.नं. 22 के कि.नं. 4,5,6,15,16 प्रत्येक 0.253है., 7 की 0.063है.,

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:39:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उतरी पासा 25 की 0.228है, कुल 1.556है, नहरी व प.नं. 233/278 मु.नं. 47 के कि.नं. 24 की 0.023है, 8 की 0.253है, कुल 0.276है, कुल 1.832है, रकबा चला आ रहा हैं। अप्रार्थी ने कभी भी समुचित विधिक बंटवारा व खाता विभाजन से इन्कार नहीं किया हैं। अप्रार्थी ने न तो कभी प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि हड़पने की मंशा रखी न ही उसे नुकसान पंहुचाने की मशा रखी न ही अप्रार्थी ने किन्ही किला विशेष को हस्तान्तरण करने की मंशा रखी न ही डिग्गी निर्माण कर रहा हैं नही समुचित विधि विभाजन व खाता विभाजन से दिनांक 27.10.2022 को या कभी इंकार किया। विवादित रकबा का सहहिस्सेदारान के मध्य रास्ता, खाला व काश्त आदि की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये समुचित तरीके से विधिक विभाजन व खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित होगा। अप्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2,6 को नाहक पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2,6 की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1,3,4 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि संयुक्त होना स्वीकार हैं उक्त भूमि का बंटवारा घरेलू तौर पर आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चुका हैं। और उसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर लगातार काश्त करते आ रहे हैं। अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज हैं। प्रार्थी स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही हैं। उक्त भूमि चक 82 खाता सं. 129/116 में दर्ज अनुसार मु.नं. 22 की 6.200है. नहरी भूमि के कि.नं. 1,10,11,20,21,22 पर रूकमा देवी का कब्जा है। कि.नं. 2,9,12,19 पर रामकुमार का कब्जा काश्त हैं। कि.नं. 23,18,13 1/2 पर जगदीश के कब्जा काश्त में हैं। कि.नं. 3,8,13 1/2, 24,17, 7 पर भागीरथ का कब्जा काश्त हैं। कि.नं. 4,5,6,15,16,25 पर विनोद, सुभद्रा, तारो देवी के कब्जा काश्त में उक्त भूमि का कब्जा वादी व प्रतिवादी का 28/29 वर्ष से लगातार चला आ रहा हैं। कि.नं. 19 में स्वीकृत डिग्गी राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना/अटल भूजल योजना/मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2022-2023 में ऑनलॉईन आवेदन के आधार पर विभागीय दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार कृषकों का डिग्गी कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई जो कि प्रशासनिक विभाग द्वारा अप्रार्थी के समस्त कागजात व हल्का पटवारी की कब्जा काश्त की रिपोर्ट के आधार पर ही अप्रार्थी सं. 4 को डिग्गी बनाने की स्वीकृति कृषि विभाग द्वारा प्रदान की गई है जिसके निर्माण के लिए अप्रार्थी सं. 4 को डिग्गी बनाने के लिए 3 लाख रूपये का अनुदान मंजूर हुआ है अगर डिग्गी का निर्माण नहीं किया जाता है तो अप्रार्थी सं. 4 को मय ब्याज कृषि विभाग को देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और डिग्गी का निर्माण नहीं होने से अप्रार्थी को अपनी भूमि की उपज को नहीं बढा सकेंगे जिससे अप्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:39:56 IST
Reason: SelfAttested

3. बहस वकील पक्षकारान सुनी गयी। वकील प्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता में दर्ज हैं जिसमें प्रार्थी का खाता विभाजन करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके हक हिस्सा से वंचित करने लिए अच्छी भूमि पर अपना कब्जा दिखाकर राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा हैं मौका पर प्रार्थी की बिना सहमति के डिग्गी का निमार्ण कर अच्छी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

हड़प करने की फिराक में हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को खाता विभाजन करने हेतु कहा तो वे स्पष्ट रूप से इंकार हो गये हैं। प्रार्थी भूमि का रिकार्डेड टिनेंट होने के कारण खाता विभाजन करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अतः मूल वाद के निर्णय तक खाता विभाजन होने तक मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित किये जाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ने कभी भी समुचित विधिक बंटवारा व खाता विभाजन से इन्कार नहीं किया हैं। अप्रार्थी ने न तो कभी प्रार्थी के हक व हिस्सा की भूमि हड़पने की मंशा रखी न ही उसे नुकसान पंहुचाने की मंशा रखी न ही अप्रार्थी ने किन्ही किला विशेष को हस्तान्तरण करने की मंशा रखी न ही डिग्गी निर्माण कर रहा है नही अप्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2,6 की हद तक प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी सं. 1,3,4 अपनी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि का बंटवारा घरेलू तौर पर आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व हो चुका हैं। और उसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर लगातार काश्त करते आ रहे हैं। अपने अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज हैं। प्रशासनिक विभाग द्वारा अप्रार्थी के समस्त कागजात व हल्का पटवारी की कब्जा काश्त की रिपोर्ट के आधार पर ही अप्रार्थी सं. 4 को डिग्गी बनाने की स्वीकृति कृषि विभाग द्वारा प्रदान की गई है जिसके निर्माण के लिए अप्रार्थी सं. 4 को डिग्गी बनाने के लिए 3 लाख रूपये का अनुदान मंजूर हुआ है अगर डिग्गी का निर्माण नहीं किया जाता है तो अप्रार्थी सं. 4 को मय ब्याज कृषि विभाग को देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और डिग्गी का निर्माण नहीं होने से अप्रार्थी को अपनी कृषि भूमि की उपज को नहीं बढा सकेंगे जिससे अप्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की भूमि हैं। जिसके विभाजन के अनुतोष आधार पर मूल वाद के निर्णय तक प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया गया हैं। अप्रार्थीगण सं. 1,3,4 द्वारा निवेदन किया गया हैं कि भूमि का पूर्व में ही घरेलू तौर पर बंटवारा किया जा चुका हैं जिस अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त हैं वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा अप्रार्थी सं. 4 को डिग्गी निर्माण हेतु राशि अनुदान स्वीकृत किया हैं, प्रार्थी उक्त कार्य को प्रभावित करने हेतु निषेधाज्ञा [illegible] कर रहे हैं, यदि निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं तो अप्रार्थीगण को आर्थिक [illegible] उसके विपरीत प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि पूर्व में कोई बंटवारा पक्षकारान के मध्य नहीं हुआ हैं अप्रार्थीगण अच्छी किस्म की भूमि पर स्वयं का कब्जा दिखाकर [illegible] को अच्छी भूमि से वंचित करना चाहते हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। कृषि विभाग द्वारा अप्रार्थी को डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान राशि स्वीकृत की गयी हैं। अतः यदि मौका की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किये जाते हैं तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:39:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

डिग्गी निर्माण कार्य प्रभावित होने से अप्रार्थी को क्षतिकारित होने की संभावना हैं। विवादित भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है, जिसका मूल वाद में वाद बिन्दू कायम कर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना हैं. यदि दौराने वाद भूमि किसी अन्य को हस्तांतरित कर दी जाती है तो मुकदमाबाजी बढेगी। संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक इंच भूमि पर सभी सहखातेदारों का समान हक अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय यह उचित समझता हैं कि मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जानी न्यायहित में अति आवश्यक हैं ताकि भविष्य में अनावश्यक मुकदमाबाजी न बढे।

–:: आदेश ::–

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता हैं तथा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि चक 82 आरबी के खाता सं. 129/116 में दर्ज अनुसार मु.नं. 22 प.नं. 233/276 व मु.नं. 47 प.नं. 233/278 की कुल 7.326है. नहरी खातेदारी भूमि पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 06.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:39:56 IST
Reason: SelfAttested